जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 13-09-2021**

आज दिनांक 13.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री अम्बरीश भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 292 /21 धारा 363 / 366 / 376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता सोहन गौतम पुत्र गोविन्द निवासी बस्ती बस्ता थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित कि गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 12.09.2021 को थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 13.09.2021 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विजय प्रताप सिंह, हे0कां0 रामअधार यादव, का0 मोहन।

थाना महुली पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 265 / 2021 धारा 376 / 323 / 504 / 506 भा0द0वि0 एव 3 /4 पाक्सों एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त

नाम पता गौरव पुत्र लक्ष्मीनिधि निवासी ग्राम तरयापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, तथा परिजनों से बताने पर उसके साथ मारपीट करते हुए जानमाल की धमकी भी दिया गया था जिसके संबंध मे पीडिता के पिता द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 11.09.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 13.09.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक श्री रणविजय सिंह, हे0कां0 अनिल कुमार, हे0कां0 पप्पू सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता राधेश्याम गुप्ता पुत्र देवनरायण निवासी सरैया बाईपास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम- प्रभारी चौकी नवीन मंडी उ0नि0 श्री हरेश तिवारी, कां0 नीलेश शुक्ला कां0 बब्बल यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा (05 ली0 - 05 ली0 – 10 ली0) कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1- राम चन्दर गुप्ता पुत्र बुद्धू गुप्ता 2- शैलेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव निवासीगण जमोरिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब 3- अशोक पुत्र कम्मल निवासी अमरडोभा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 248 / 2021 व 249 / 2021 व 250 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा प्रभारी चौकी विसौवा, हे0कां0 अवधेश शर्मा, हे0कां0 रामदुलार यादव, कां0 अंशुमान द्विवेदी, कां0 विरेन्द्र कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा रेल दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कैलाशनगर से इवेन्ट संख्या 09194 से रेल दुर्घटना में एक व्यक्ति (हरिराम पुत्र रामकरन निवासी रसूलपुर नई बस्ती) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 05 में घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जरिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 प्रवेश यादव, हो0चा0 इन्द्रनाथ पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 44 वाहनो से 32500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 44 वाहनो से 32500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।